सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023	
	Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2023

संख्या प.10 (22)कृषि/ग्रुप-2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 31.07.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ की स्थापना की गई थी।

अब चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज किशनगढ द्वारा मण्डी क्षैत्र अराई में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अराई में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में - खसरा नं.402/377 गै.मु. रास्ता तक
पश्चिम में - खसरा नं.258 गै.मु. रास्ता तक
उत्तर में - खसरा नं.234 किशनगढ अराई रोड़ तक
एवं दक्षिण में - ढाणी पुरोहितान ग्राम की सीमा तक

गौण मण्डी यार्ड अराई की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

4476

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।